Social Security Now!

POORA KAAM, POORA DAAM
POORI SURAKSHA, POORA MAAN

National Secretariat: 173 A, Khirki Village, Malviya Nagar, New Delhi - 110017
Tel: +91-11- 29541858, 29541841, 29543084, 29542473; Fax: +91-11-29542464
Email: ssn@cec-india.org; Website: www.socialsecuritynow.org; www.cec-india.org

तिथिः 26 फरवरी, 2010

प्रेस विज्ञप्ति

‘जीडीपी का 5% हिस्सा सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा के लिए आवंटित करें’ सामाजिक सुरक्षा अभी की माँग

‘जीडीपी का 5% हिस्सा सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा के लिए आवंटित करें’, 26 फरवरी को जन्तर-मन्तर, नई दिल्ली में हुए एक प्रदर्शन में सामाजिक सुरक्षा अभी (एसएसएन) ने यह माँग रखा। देश भर से आए लगभग 200 लोगों ने इस माँग को लेकर संसद मार्च किया। इस जनसमूह में अनेक श्रमिक, मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि, नागरिक समाज के संगठन तथा अनेक जागरूक लोग शामिल थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य को एक ऐसे सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए जो भेदभाव रहित और अलक्षित हो क्योंकि भारत मे रहने और काम करने वाले सभी लोगों का भारत में सामूहिक रूप से उत्पादित संपदा पर अधिकार है।उन्होंने कहा कि असंगठित मजदूरों के लिए आवंटित 1000 करोड़ रूपए की राशि बिल्कुल अपर्याप्त है।

इस अवसर पर अपनी बात रखते हुए, एसएसएन के सदस्यों ने सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा के महत्व की व्याख्या की। सेंटर फॉर एज्युकेशन के प्रतिनिधि जे जॉन के अनुसार - ‘‘भारत में भूख की समस या के लगातार बढ़ने का मूल कारण राजनीतिक अभिजात्य वर्ग का यह सुविचारित निर्णय है कि भारत में रहने और काम करने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार न दिया जाए। भारतीय शासक हमेशा यह कहकर बचते रहे कि हमारे पास बाँटने के लिए कोई संपदा (ध ान) नहीं है। अपने एक हालिया निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मिथ को तोड़ते हुए राज्य को स्कूलों मे पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए मिड-डे मिल (दोपहर का भोजन) की व्यवस्था करने का आदेश दिया। सामाजिक सुरक्षा और वेतन वितरणात्मक न्यााय के प्रमुख अंग हैं और इसे भेदभाव रहित तथा अलक्षित होना चाहिए। नेशनल फोरम फॉर फॉरेस्ट वर्कर्स (एनएफएफपीएफडब्ल्यू) के प्रतिनिधि अशोक चौधरी ने कहा - ‘‘भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 ए जो हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का हक देता है के अनुसार सामाजिक सुरक्षा भारत के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। सरकार कॉर्पोरेट जगत के हितों को पूरा करने के लिए तो करोड़ो रूपए खर्च कर रही है लेकिन सामाजिक सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता सूची में दूर-दूर तक शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन (यूजीएमएस) के प्रतिनिधि तुला राम शर्मा ने इसके साथ यह भी जोड़ा कि - ‘‘असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नही मिल पर रहा है।’’ एसएसएन सदस्य शशि पंडित, (हरित रिसाइक्लर्स यूनियन, एचआरयू) और टीका राम (माइग्रेन्ट नेपालिज एसोसियेशन, मीना) ने भी अपने विचार रखे।

एसएसएन की माँगों में 'असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम - 2008' में व्यापक संशोधन भी शामिल हैं। एसएसएन की माँग है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा को परिभाषित किया जाए, समाजिक सुरक्षा लाभों को अधिनियम के मूल भाग में शामिल किया जाए, भारत में रहने और काम करने वाले सभी लोगों तक उनके रोजगार की प्रकृति, वेतन, लिंग, नस्ल तथा जाति के आधार पर भेदभाव न करते हुए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार किया जाए, किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे की व्यवस्था हो तथा एक 'सामाजिक सुरक्षा निधि' की स्थापना की जाए। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत दलितों के सामाजिक समावेश, आदिवासियों के विस्थापन, दलितों और आदिवासियों के आवास अधिकार, महिलाओं के अभुक्त (जिसका भुगतान न किया गया हो) श्रम की पहचान, महिलाओं के आवास का अधिकार तथा प्रवासियों की असुरक्षा जैसे मुद्दों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

जारीकर्ता
रेम्या रवीन्द्रन
समाजिक सुरक्षा अभी के लिए

'सामाजिक सुरक्षा अभी' के बारे में

समाजिक सुरक्षा अभी (एसएसएन) भारत में रहने और काम करने वाले सभी लोगों के लिए समाजिक सुरक्षा के अधिकार की माँग करने वाला एक राष्ट्रीय अभियान है। देश भर के 500 से अधिक संगठन जिसमें अनेक मजदूर संगठन, नागरिक समाज के संगठन, किसान संगठन शामिल हैं इस अभियान के सदस्य हैं। इस अभियान का सबसे खास पहलू है इसमें दलितों, आदिवासियों और अन्य सामाजिक रूप से वंचित तबकों की सक्रिय भागीदारी और इस बात पर जोर कि सामाजिक सुरक्षा भारत के सभी सामाजिक वर्गों का वैधानिक अधिकार है।

एसएसएन राष्ट्रीय **कार्यसमिति के सदस्यः** बिन्द्राई इंसटिट्यूट फॉर रिसर्च स्टडी एण्ड ऐक्शन (बिरसा); सीबीसीआई कमिशन फॉर लेबर; सेन्टर फॉर कम्युनिटी इकोनॉमिक्स एण्ड डेवलपमेन्ट कन्सलटेन्ट्स सोसाइटी (सिकोडिकोन); सेन्टर फॉर ऐज्युकेश ान एण्ड कम्युनिकेशन (सीईसी); कॉर्नरस्टोन ट्रस्ट; दिल्ली फोरम; दिल्ली श्रमिक संगठन (डीएसएस); फाउन्डेशन ऑफ ऐज्युकेशनल ईनोवेशन्स इन एशिया (फडिना); हरित रिसाइक्लर्स एसोसियेशन (एचआरए); ह्यूमन राईट्स लॉ नेटवर्क (एचआरएलएन); इंडियन सोशल इंसटिट्यूट (आईएसआइ); जन सघर्ष मंच; लया; लोक संघर्ष मोर्चा; नेशनल कैंपेन कमिटी फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स (एनसीसी-यूएसडबल्यू); नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राईट्स (एनसीडीएचआर); नेशनल फेडरेशन ऑफ दलित लैन्ड राईट्स मुवमेन्ट्स (एनएफडीएलआरएम); नेशनल फोरम ऑन फॉरेस्ट पीपल एण्ड फॉरेस्ट वर्कर्स

विशेष जानकारी के लिए संपर्क करेंः पल्लवी मानसिंह (9868066195),
आर एस तिवारी (9891165183) या रेम्या (9968921249)